Yogic Cure Centres/Hospitals

*339. SHRI MAHI LAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to lay a statement showing:

(a) whether Government have given recognition to any of existing Yogic Cure Centres/Hospitals;

(b) if so, the names and addresses of such Yogic Cure Centres/Hospitals;

(c) the names of the Yogic Cure Centres/Hospitals which are recognised or authorised for purpose of CGHS;

(d) if no such Centres|Hospitals have so far been recognised or covered under CGHS, the reasons therefor; and

(e) whether Government propose to take steps to give recognition to Yogic Cure Centes if the answer to part (a) is in negative; and the time by which at least some of Yogic Cure Centres/Hospitals will be given recognition?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RABI RAI): (a) and (b). Yogic Cure Centres/Hospitals are not recognised under the Central Services Medical Attendance Rules or the C.G.H.S. However, the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi has been extending financial assistance to four yogic cure centres/hospitals. Their names and addresses are contained in a statement laid on the Table of the House.

(c) One Yoga Centre is functioning under the C.G.H.S. itself in the premises of the CGHS Dispensary, Chitra Gupta Road, New Delhi.

(d) and (e). Recognition of Yogic Cure Centres/Hospitals for purposes of C.G.H.S. or the Central Services Medical Attendance Rules is not contemplated at present.

Statement

Sl. No.	Name and addresses of the Institutions
1	The Indian Institute of Research in Yoga and Allied Sciences, 4th Hostel, S.P.W College, Tirupaty-517502 (A.P.)
2	Yoga Research Centre, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi.
3	Shivananda Math, Umachal Yogashram and Yogic Hospital, Kamakhya, Gauhati-781010.
4	Government Yogic Treatment-cum-Research Centre, Bapunagar, Jaipur.

Diabetes Patients

*341. SHRI CHHITUBHAI GAMIT: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the State-wise number of diabetes patients in the country from 1972 to 1978;

(b) whether this number indicates that cases of diabetes are increasing; and

(c) if so, the effective measures proposed to be taken by Government to check it?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RABI RAY): (a) Diabetes is not a notifiable

disease. Hence complete information regarding the number of diabetes patients is not available. Based on Hospital reports received from some of the States, a statement containing the number of diabetes patients in those States from 1972 to 1977 is laid in the Library of the Sabha [*Placed in Library. See* No. LT-4094/79]. Figures for 1978 have not yet been furnished.

(b) The statement would show that a large number of patients have attended the hospitals. This does not, however, indicate the incidence rate of diabetes.

(c) Medical care is the responsibility of the State Governments. There is no Central progrmme for controlling this disease.

सोनपुर डिवीजन में मछली तालाबों का ठेका

3201. **ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर डिवीजन में मछली तालाबों और घास के ठेके देने के लिए क्या कसौटी अपनाई जाती है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बड़े ठेकेदार इनके ठेके 3 वर्ष के लिए लेते हैं और भारी लाभ कमाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग). वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सोनपुर मंडल सहित समस्त भारतीय रेलों पर रेलवे के तालाबों और गड्ढ़ों से मछली पकड़ने के अधिकार देने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए रेल कर्मचारियों द्वारा गठित मछुआ सहकारी समितियों को प्रथम तरजीह दी जाती है। यदि ऐसी कोई समिति या समितियां इसके लिए तैयार नहीं होती हैं, तो रेल प्रशासन के साथ पंजीकृत अन्य मछुआ सहकारी समितियों से मछली पकड़ने के अधिकार देने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए समिति निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

इन दोनों विकल्पों के अभाव में रेल प्रशासन इनकी नीलामी करता है और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को मछली पकड़ने का अधिकार प्रदान करने के लिए लाइसेंस दे दिया जाता है।

घास काटने के अधिकार देने हेतु भी लाइसेंस रेल प्रशासन के विवेक पर निविदाएं आमंत्रित करके या खुली नीलामी द्वारा दिये जाते हैं। रेल प्रशासन ने सहकारी समितियों के सभी रजिस्ट्रारों और उस क्षेत्र के जिला मत्स्य उद्योग अधिकारियों को लिखा था कि वे सहकारी समितियों को सूचित करें कि वे अपने-अपने नाम सोनपुर मंडल के प्राधिकारियों के पास पंजीकृत करवा लें लेकिन अभी तक किसी भी सहकारी समिति ने अपना नाम पंजीकृत नहीं कराया है। सहकारी समितियों के आगे न आने के कारण रेल प्रशासन ने तीसरे विकल्प का अनुसरण किया और खुली निविदा के जरिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले को तीन वर्ष की अवधि के लिए मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस दे दिया।

सोनपुर मंडल में घास काटने के अधिकार वर्षानुवर्ष के आधार पर नीलाम किये जाते हैं और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को लाइसेंस दिया जाता है।

जब खुली नीलामी के जरिए अधिकारों का लाइसेंस दिया जाता है, तब प्रशासन को सबसे अधिक बोली लगाने वाले की बोली को स्वीकार करना पड़ता है।

चीनी उद्योग के लिए तीसरा मजूरी बोर्ड

3202. **दयारामैं शाक्य** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सुगर मिल मजदूर संघ द्वारा 15 फरवरी, 1978 को किये गये ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) चीनी उद्योग के लिए बने वेतन आयोग की अवधि कब समाप्त हो रही है ; और

(ग) क्या सरकार चीनी उद्योग के मजदूरों के वेतन और भत्तों आदि पर पुनर्विचार के लिए तीसरे मजूरी बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और यदि हां, तो इसका गठन कब तक किया जायेगा ?